न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

अपील प्रार्थना पत्र संख्या :– 13/2019 दायर तारीख 20-06-2019

1. खींयाराम पुत्र प्रभूराम जाट निवासी मोड़ी खुर्द तहसील परबतसर

—: अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत टापरवाड़ा
2. तहसीलदार परबतसर
3. भू. अभिलेख निरीक्षक रिड़
4. पटवारी हल्का टापरवाड़ा

— रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत पीलवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2018 नामान्तकरण संख्या 169 अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :– श्री गजराज चौहान वकील अपीलान्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 26.11.2019

1. अपीलार्थी खींयाराम ने यह अपील अभिभाषक श्री गजराज चौहान के जरिये पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम मोड़ी खुर्द की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर 257 रकबा 4.37 हैक्टयर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.03 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 258 रकबा 0.07 हैक्टयर भमि है। अपीलान्ट का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना किसी आधार के अस्वीकृत कर दिया। अपीलान्ट ने अपील प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 में सजरा खानदान प्रस्तुत किया हैं। जिसके अनुसार अर्जुनराम के तीन पुत्र जयराम प्रभूराम व रामकरण हैं, जिसमें जयराम लाऔलाद फौत होना व जयराम के प्रभूराम का पुत्र हरजीराम गोद जाना बताया गया हैं तथा प्रभूराम के शेष वारिसान में खींयाराम पुत्र, हस्तुड़ी पत्नी (फौत) भवंरीदेवी, धापुदेवी, बिरदीदेवी पुत्रियां होना अंकित किया गया है। हरजीराम जो प्रभूराम का पुत्र था जिसके प्रभूराम से प्राप्त भूमि वो जयराम के गोद चले जाने से अपने भाई खींयाराम के पक्ष में दिनांक 27.01.2009 को हकत्याग कर दिया जिसका नामान्तकरण 456 दर्ज हो चुका है।

26/11/19

Scanned by CamScanner

हरजीराम अपने काका जयराम के गोद चला गया जहां पर जयराम का स्वर्गवास होने पर उसके स्थान पर नामान्तकरण संख्या 457 हरजीराम के नाम स्वीकृत हो चुका हैं। अपीलान्ट की माता हस्तुड़ी फौत होन पर विरासत नामान्तकरण नहीं करवा कर सीधा अपीलान्ट द्वारा अपनी संगी बहने भंवरीदेवी, धापूदेवी व बिरदी देवी के द्वारा दिनांक 18.05.2017 को सम्पूर्ण हिस्सा अपने पक्ष में हकत्याग करवा दिया था जो विधिवत रूप से सही थी इस प्रकार प्रभूराम की के हक हिस्से की भूमि में मात्र एक खातेदार अपीलान्ट रह गया था। जिसका नामान्तकरण दर्ज कर बाद जांच ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया जिसको ग्राम पंचायत ने अपीलान्ट को सुने बिना ही अस्वीकृत कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 10.06.19 को हुई तब अपील का कारण उत्पन्न हुआ है। अपीलान्ट ने अपील पेश कर नामान्तकरण सख्यां 169 ग्राम मोड़ी खुर्द पर ग्राम पंचायत के आदेश को अपास्त कर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण तस्तदी करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

2. अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट के सम्मन तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद बार बार अवाज लगाने पर अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अपीलान्ट ने अपील के समर्थ में नामान्तकरण संख्या 169 की प्रमाणित प्रति , जमाबन्दी सम्वत 2065 व जमाबन्दी स्मवत 2073–76, हरजीराम द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में किये गये हकत्याग पत्र की प्रति, अपीलान्ट की बहिनो द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में किये गये हकत्याग पत्र की प्रति पेश की है।

3. अपीलान्ट की अपील पर उसके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दौराने वहस जाहिर किया हैं ग्राम मोड़ी खुर्द की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर 257 रकवा 4.37 हैक्टयर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.03 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 258 रकबा 0.07 हैक्टयर भमि है की खातेदारी हरजीराम, खीयाराम पि. प्रभूराम, हस्तूड़ी बेवा प्रभूराम, जयराम, रामकरण पि. अर्जुनराम कौम जाट सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिसमें हरजीराम अपीलान्ट का भाई अपने काका जयाराम के कोई औलाद नहीं होने से उसके गोद चला गया था तथा अपीलान्ट के पिता प्रभूराम से हरजीराम को प्राप्त हिस्सा अपने भाई खींयाराम के रजिस्ट्रर्ड

26/11/19

Scanned by CamScanner

हक त्याग कर दिया था। जिसका नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज हो गया था। जिसके बाद अपीलान्ट की माता हस्तड़ी का भी स्वर्गवास हो गया। हस्तड़ी देवी के स्वर्गवास होने पर उसके जायज वारिसान में अपीलान्ट की बहिने भवंरीदेवी, धापुदेवी, बिरदीदेवी पुत्रियां प्रभूराम ने अपना अपना हक हिस्सा रजिस्ट्रर्ड हकत्याग पत्र अपीलान्ट के पक्ष में कर दिया था। जिसका नामान्तकरण संख्या 169 पटवारी हल्का द्वारा दर्ज कर भू. अभिलेख के समक्ष प्रस्तुत किया जिसकी जांच कर भू. अभिलेख ने अंकन सही होना बताया जिसके बाद पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया। सरपंच ग्राम पंचायत ने बिना अपीलान्ट को सुने ही बिना किसी कारण के नामान्तकरण संख्या 169 अस्वीकृत कर दिया जो गलत है, जिसका ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया हैं। जिससे नामान्तकरण संख्या 169 पर दिनांक 05.03.2018 का आदेश अपास्त किया जाकर नामान्तकरण तस्तदीक फरमाया जावे।

4. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस अधिवक्ता अपीलार्थी पर मनन किया गया। नामान्तकरण संख्या 169 पटवारी हल्का द्वारा ग्राम मोड़ी खुर्द के खसरा नम्बर 257, 256, 258 की खातेदार हस्तुड़ी देवी बेवा प्रभूराम फौत होने पर उसकी पुत्रियों द्वारा अपने भाई खीयाराम के पक्ष में हकत्याग करने व प्रभूराम का पुत्र हरजीराम अपने काका जयराम के गोद चले जाने से अपीलान्ट खीयाराम के नाम दर्ज किया गया। लेकिन अपीलान्ट द्वारा हरजीराम जयराम के गोद चला गया इस सम्बन्ध में कोई गोदनामा पेश नहीं किया हैं। जमाबन्दी के अनुसार हरजीराम, खींयाराम पि. प्रभूराम, हस्तूड़ी देवी बेवा प्रभूराम एवं प्रभूराम, जयराम, रामकरण पि. अर्जुनराम विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं हस्तूडीदेवी के स्वर्गवास के बाद प्रभूराम व हस्तुड़ी देवी की पुत्रियां भंवरीदेवी व धापू एवं बिरदीदेवी द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में हकत्याग किया जाना अंकित किया गया हैं जबकि धापू, बिरदीदेवी व भंवरीदेवी उक्त विवादित आराजीयत की कभी खातेदार दर्ज रही नहीं हैं। विधि के अनुसार तय सुदा रिकार्डेड हक हिस्से का ही हकत्याग किया जा सकता है ऐसा कोई दस्तावेज अपीलान्ट द्वारा पेश नही किया गया है। उक्त नामान्तकरण पर ग्राम

26/11/19

Scanned by CamScanner

पंचायत दिनांक 05.03.2018 को ग्राम पंचायत की साधारण सभा की बैठक में उपस्थित कोरम में प्रस्ताव संख्या 3 के आधार पर खारिज किया गया। जिसके बाद अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20.06.2019 एक वर्ष से अधिक समय बाद यह अपील पेश की है। अपीलान्ट ने अपील के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है, न ही नामान्तकरण की अपील इतनी देरी से पेश करने का कोई उचित कारण बताया हैं। जिससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील मयाद बाहर हैं। साथ ही अपीलान्ट अपील में दिये गये तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करने में असफल रहा हैं जिससे अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः अपीलार्थी की अपील लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के अभाव में मयाद बाहर होने व अपीलान्ट द्वारा अपील साबित करने में असफल रहने से नामान्तकरण अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। यह आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/11/19

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

Scanned by CamScanner